20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यु , ग्वालियर म.प्र.

R-2758-III/14

गुरूचरण तनय भैयन बेगी

निवासी शाहगढ तह0 शाहगढ़ जिला सागर

... आवेदक

।।बनाम।।

मनीष,अमित , पूजा पिता रामप्रकाश बे गी

तुलसाबाई बेवा रामप्रकाश बेगी,

निवासी शाहगढ तह0शाहगढ जिला सागर म.प्र.

... अनावेदकगण

निग0प्र0क्र0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र. भू. रा. संहिता

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-

1- यहकि, आवेदक उक्त निगरानी आदेशश्रीमान् तहसीलदार, शाहगढ के प्र0क्र0 रा.प्रा.क्रमांक अपंजीकृत अ/70 वर्ष 2013- 14 आदेश दिनांक 09.07.2014 से पीड़ित होकर कर रहा है।

2- यहकि,प्रकरण का तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकोंद्वारा एक शिकायती पत्र विद्वान कलेक्टर महोदय सागर के यहां जबरन कब्जा के सम्बंध में प्रस्तुत किया था, उक्त शिकायती पत्र के आधार पर विद्वान कलेक्टर महोदय ने तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा फरीकैन को आहुत किया था, इस सम्बंध में आवेदक द्वारा अपना विरोध प्रगट करते हुए उक्त शिकायती पत्र के आधार पर आवेदन का समुचित जबाव दिया था आवेदक द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि खसरा नंबर827/1 रकवा 1.06 हे0 उक्त भूमि पर आपसी बंटवारा हो चुका है उक्त भूमि में से खातेदारों ने अपने हिस्से में से भूमि विक्रय कर चुके है। अनावेदकों के पिता रामप्रकाश

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—2758—तीन / 2014 जिला—सागर

गुरूचरण बेगी विरूद्ध मनीष आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
२२-08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार शाहगढ़, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 06 / अ—70 / 2013—14 में पारित आदेश दिनांक 09—07—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2 / पक्षकार दिनांक 11—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	